राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN,)

क्रमांकः एफ 61(5)/SSAAT/संस्थापन/2019/1494 दिनांक: 26/2/21

आदेश क्रमांक 27 /2021

कार्यालय आदेश

मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी./मं.म./49/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग को समाप्त कर स्वतंत्र रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.2 के अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (RTPP Act), 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम (RTPP Rules),2013 एवं लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम (PWF &AR) सोसायटी के किया कलापों के संचालन हेतु अंगीकृत (Adopt) किये गये हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही पारदर्शिता सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के कम में कार्यालय ओदेश क्रमांक :एफ 61 (5)SSAAT/विविध/2019/7386–7409 दिनांक 04.03.2020 द्वारा निदेशक SSAAT को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

कार्यालय व्यवस्था हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 61 (20) SSAAT/SOP/2020 / 7367–7385 दिनांक 04.03.2020 (समय समय पर यथा संसोधित) द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GR&AR), के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष को कतिपय शक्तियां प्रदान की गई थी।

राजकार्य सम्पादन हेतु राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Act/Rules), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) आदि सोसायटी में लागू नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार में प्रचलित व्यवस्था अनुसार निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को विभागाध्यक्ष के समकक्ष एवं उपनिदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष की शक्तियां प्रदान किये जाने का कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 में निर्णय किया गया हैं। शक्तियों के प्रत्यायोजन बाबत् पर्वू आदेशों का अनुमोदन शासी निकाय (G.B.) की द्वितीय बैठक में भी किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त निर्णयों की अनुपालना में विभागाध्यक्ष के समकक्ष शक्तियां निदेशक को तथा कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष शक्तियां उपनिदेशक (वरिष्ठ लेखाधिकारी पद स्थापन होने पर) को प्रदान की जाती हैं। उपनिदेशक पदस्थापन तक कार्यालयाध्यक्ष का कार्य सम्पादन करने वाले सहायक/लेखाधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक एफ 61 (20) SSAAT/SOP/2020 /7367–7385 दिनांक 04.03.2020 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्य किया जावेगा।

24/02/21

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT

क्रमांक क्रमांकः एफ 61(5)/SSAAT/संस्थापन/2019/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय (SSAAT)
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT)
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय (SSAAT)
4. निजी सचिव,प्रधान महालेखाकार राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक,SSAAT
6. लेखाधिकारी (प्रशा.) एवं कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) वास्ते पालनार्थ।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय, प्रोगामर सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार/समस्त अन्य कर्मचारी SSAAT
8. आहरण वितरण अधिकारी लेखाशाखा SSAAT
9. रक्षित पत्रावली

(रामावतार श्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेहीएवं पारदर्शिता
सोसायटी(SSAAT), राज. जयपुर

E Drive//Gopal /karyala aadesh